मुख्य परीक्षा

प्रश्न- मॉब लिचिंग क्या है? भारत में मॉब लिचिंग के सामाजिक-आर्थिक कारणों की चर्चा करते हुए इसके नियंत्रण संबंधित उपाय भी सुझाये।

(250 शब्द)

What is Mob Lynching? Discussing the socio-economic reasons of Mob Lynching also recommend the measures to curb it.

(250 Words)

मॉडल उत्तर

उत्तर:- मॉब लिचिंग:- भीड़ द्वारा बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए किसी को दोषी करार देकर उसे मृत्युदण्ड देना ही मॉब लिचिंग है।

भारत जैसे सहिष्णु देश, जिसकी विशेषता रही है-सबको अपनाया जाए, में भी भीड़ के अनियंत्रित होकर हिंसात्मक गतिविधियों के कई उदाहरण है, जैसे- असहयोग आन्दोलन, चौरी-चौरा अग्निकांड, स्वतंत्रता पश्चात् भारत विभाजन के समय, इंदिरा गाँधी की हत्या के समय, जिसमें भीड़ द्वारा सजा-ए-मौत का फरमान सुनाया गया।

भारत में मॉब लिचिंग के सामाजिक-आर्थिक कारण:-

- भीड़ द्वारा हिंसा का सामाजिक कारणों में सामाजिक-मनोवैज्ञानिक कारण होता है। जिसमें किसी जातीय समूह को निशाना बनाकर की गई हिंसा, जैसे- बहुसंख्यकों द्वारा की गई हिंसा। आमतौर पर ऐसी हिंसाएँ नियोजित होती है।
- कई बार भीड़ द्वारा सामाजिक मान्यताओं को बचाने के लिए हिंसा द्वारा डर का एक माहौल पैदा कर एक संदेश दिया जाता है और इस प्रकार की हिंसा को एक पवित्र कार्य माना जाता है। इसमें धर्म की गलत व्याख्या का आधार बना दिया जाता है जैसे-गौ हत्या करने वाले को मारना पाप नहीं है।
- सामाजिक, पारिवारिक एवं बेरोजगारी संबंधी मानसिक समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति खुद को उत्पीड़क मान बैठता है और अपनी खीझ निकालने हेतु हिंसक बन जाता है।
- कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप से पुलिस के कदमों को रोकने तथा सरकार द्वारा अपराध पूर्व सुरक्षा तथा अपराध पश्चात् न्याय दिलाने में असमर्थता के कारण न्याय व्यवस्था पर विश्वास में कमी, कुछ संकीर्ण सोच वाले राजनीतिज्ञों द्वारा वोटो का ध्रुवीकरण भी एक कारण है।
- बेरोजगारी की वजह से बहुत से लोग अपने दायित्वों के निर्वहन में व्यस्त नहीं रहते जिससे आर्थिक अभाव अनेक तनावों को जन्म देती है और तनाव हिंसा को।
- साथ ही साथ सोशल मीडिया तथ्यहीन, भड़काऊ भाषण, फेक समाचार आदि भी एक प्रमुख कारण है।

उपाय:-

- मॉब लिचिंग से निपटने के लिए हमें सोशल मीडिया आदि पर नियंत्रण एवं निगरानी रखना होगा।
- हर ऐसी जगह पर जहाँ भीड़ एकत्रित हो रही है, वहाँ स्थानीय पुलिस की तैनाती को आवश्यक करना होगा।
- प्रत्येक जिले के पुलिस को नोडल अधिकारी बनाकर इंटेलिजेंस अधिकारियों से प्रत्येक माह बैठक और प्रत्येक नोडल अधिकारी तथा इंटेलिजेंस अधिकारियों की हर तीसरे माह पुलिस महानिदेशक अथवा गृह सचिव के साथ बैठक तथा स्थिति की समीक्षा की जानी चाहिए।
- लोगों में एक जन संदेश दिया जाये कि दण्ड का अधिकार केवल न्यायालय को है। इसके लिए उपद्रवी तत्वों को कड़ी सजा देकर उदाहरण प्रस्तुत करना होगा।